स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 230, दिनांक 02–08–2024

जनपद आजमगढ़ से वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर गिरफ्तार।

दिनांक 02–08–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 367/2024 धारा 109/115(2)/352/351(1) बीएनएस में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी आशीष यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– आशीष यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. 01 अदद अवैध शस्त्र .315 बोर
2. 01 अदद कारतूस

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

असनी पुलिया निजामाबाद, जनपद आजमगढ दिनांक 02–08–2024, समय 02.30 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में हे0कां0 प्रभाकर पाण्डेय, हे0कां0 प्रशान्त सिंह व हे0कां0 गौरव सिंह की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त टीम वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपद आजमगढ़ मे भ्रमणशील थी। जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई मु0अ0सं0 367/2024 धारा 109/115(2)/352/351(1) बीएनएस में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी आशीष यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर अपने घर आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम मय जनपद पुलिस के उक्त स्थान पर पहॅुची। कुछ समय पश्चात अभियुक्त आशीष यादव उपरोक्त असनी पुलिया पर पहॅुचा, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा बिना देरी किये अभियुक्त आशीष को समय करीब 02.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष यादव उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसने दिनांक 29–07–2024 को रात्रि लगभग 10 बजे अपने गांव के बालमीकि यादव पुत्र जगधारी यादव नि0 मोहनपुर, थाना निजामाबाद को गोली मारी थी। उसके साथ ब्रजेश यादव जो कि उसके गांव के रहने वाले है, के साथ बाइक चलाकर बालमीकि यादव के घर गया था। उसने बालमीकि यादव को गोली मारी और ब्रजेश के साथ बाइक से भाग आया। कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि बालमीकि यादव के पुत्र नीरज यादव से उसका विवाद चल रहा था और उसने मेरे पिता व परिवार वालों को कुछ दिन पहले मार–पीट किया था। जिसमें मेरे पिता व भाई को चोट लग गयी थी। जिसका बदला मैंने बालमीकि यादव को गोली मार कर लिया

था। नीरज यादव के विरूद्ध भी कई मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त तभी से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वह छिपता फिर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष यादव के विरूद्ध थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ पर मु0अ0सं0 367/2024 धारा 109/115(2)/352/351(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पेन्द्र यादव का अपराधिक इतिहासः–

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	189/24	323/411/504/506/34 भादवि,	निजामाबाद	आजमगढ़
2	204/24	354/504/506 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
3	367/24	109/115(2)/352/351(1) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ़